

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या-22/2018-19

केश का प्रकार :- नामान्तरण अपील

अशेश्वर दास, पिता-स्व० राम कृष्णा दास ..... अपीलकर्ता

-बनाम-

राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़) ..... विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
18/3/2020	<p>यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्ता अशेश्वर दास, पिता-स्व० राम कृष्णा दास, निवासी बरौनी, थाना-टेघरा, जिला-बेगुसराय, बिहार, वर्तमान पता- Flate No-9 MTY, P.O.-Tube Baridih, P.S.-Sidgora, Dist- East Singhbhum, Jamshedpur ने अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा पारित ऑन लाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या- 62 R27/2018-19 में दिनांक-22/09/2018 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया हैं। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या-62 R27/2018-19 प्राप्त हैं। अपीलकर्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ वकालतनामा, बिक्री केवाला की छायाप्रति, नामान्तरण मुकदमा की प्राप्ति रसीद, अस्वीकृति की सूचना एवं अपील आवेदन पत्र के साथ Limitation Act-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया कि मौजा-पानीजिया, थाना नं०-149, खाता नं०-02, प्लॉट नं०-350, रकबा-25.5 डिसमल भूमि, का नामान्तरण करने के लिए, नामान्तरण मुकदमा सं०-62 R27/2018-19 द्वारा अंचल कार्यालय, धालभूमगढ़ में दलील दाखिल किया गया। आवेदित भूमि हाल सर्वे 1964 खतियान में उदगा गोप के नाम पर दर्ज है। खतियानी रैयत उदगा गोप की मृत्यु के बाद कुल भूमि को हिस्सेदारों के बीच बराबर-बराबर हिस्से में विभाजित किया गया। आवेदित भूमि अमल गोप, पानो गोप, दिलीप गोप, पाकलु गोप एवं तारणी गोप के हिस्से में आया, इन सभी ने मिल कर उक्त भूमि को आवेदनकर्ता को बिक्री दलील सं०-280, दिनांक-23/02/2018 द्वारा बिक्री किया गया है। तब से उक्त भूमि पर उनका ही दखल कब्जा है। अपीलकर्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़</p>	

द्वारा बिना जाँच-पड़ताल, स्थल का निरीक्षण किये बिना, आवेदक को अपनी बात रखने का यथोचित अवसर दिये बिना तथा कागजात देखें बिना ही सिर्फ हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण मुकदमा वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता को इस नामान्तरण का खण्डन करने के लिए पर्याप्त मौका नहीं दिया गया और दिनांक-22/09/2018 को नामान्तरण अस्वीकृत किया गया। अपीलकर्ता दिनांक-22/09/2018 के पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है और निम्नांकित आधार पर इसका नामान्तरण किया जाना चाहिए:-

(1) अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा दिनांक 22/09/2018 को पारित किया गया आदेश गलत एवं अपोषनीय है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय प्रश्नगत भूमि के खातेदार को सूचना या जानकारी देने की कोशिश नहीं की गयी। आवेदन के साथ संलग्न कागजात एवं तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(3) अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा इस मामले में संलग्न कागजात में विषय वस्तु को सही से आंकलन नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि की बिक्री कानून के वर्तमान प्रावधान के पुरे मानदण्ड एवं शर्त के साथ की गई है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के अस्वीकृति की सूचनानुसार पंचायत मुखिया के द्वारा वंशावली का सत्यापन गलत किया गया है, जबकी ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा स्वीकृत वंशावली के द्वारा ही जमीन की बिक्री की गई है जो की कानून के प्रावधान के अनुसार ही है। बिक्रेताओं ने अपने ही हिस्से की जमीन को बेचा है और खतियान की पुरी जमीन बिक्रेताओं के द्वारा अपीलकर्ता को बेच दी गई है। अपीलकर्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि, उनके आवेदन को स्वीकार किया जाय तथा निम्न न्यायालय की नामान्तरण मुकदमा संख्या-62 R27/2018-19 की माँग करते हुए वाद की सूनवाई हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त नामान्तरण मुकदमा संख्या-62 R27/2018-19 में दिनांक-22/09/2018 को पारित आदेश का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियान अधूरा है, अंचल का मूल खतियान फट गया है, जमीन परती है, सभी खेसरा मिला हुआ है, अंचल अमीन द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और पंचायत

मुखिया के द्वारा वंशावली सत्यापन गलत किया गया है, खेसरा 306 अनावाद झारखण्ड सरकार के खाते का जमीन है जो इन खेसराओं के साथ मिला-जुला है, खतियान पूर्ण रूप से ऑनलाइन नहीं किया गया है तथा जमीन क्रेता के दखल में नहीं है।


अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या-62 R27/2018-19/धालभूमगढ़ को पूनः वापस करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्देश दिया जाता है:-


- (1) स्थल जाँच कर दखल-कब्जा की सम्पुष्टी करें।
- (2) खतियान एवं पंजी-11 की मूल प्रति की जाँचोंपरान्त सही होने पर ऑनलाईन प्रविष्टी संबंधी कार्रवाई सूनिश्चित करें।
- (3) प्रतिवेदनानुसार प्लॉट अलग-अलग कर स्पष्ट मापी कराते हुए सरकारी भूमि का कैसे जमाबंदी कायम किया गया है एवं बिक्री कैसे हुआ है स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करें।
- (4) वंशावली के सत्यता की जाँच कर कार्रवाई करें।

इन बिन्दुओं पर स्पष्ट जाँच कर संन्तुष्ट होने के पश्चात नियमानुसार नामान्तरण की कार्रवाई की दिशा में अभिलेख वापस भेजा जाता है।

विधि-व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक-.....18.../.....03.../2020 को पारित किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
घाटशिला।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
घाटशिला।